वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 234/2025 *दिनांक- 31.07.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में साइबर अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक- 31.07.2025 को साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा PoS एजेन्ट (सिम विक्रेता) को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 06 अदद सिम जियो प्री—एक्टीवेटेड वरामद किया गया।

साइबर क्राइम थाना पुलिस आजमगढ़ द्वारा फर्जी सिम बेचनें वाले PoS एजेन्ट (सिम विक्रेता) को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 06 अदद सिम जियो प्री—एक्टीवेटेड वरामद किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरणः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,जनपद आजमगढ़ हेमराज मीना के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी सदर/अपराध आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना देवेन्द्र प्रताप सिंह के टीम उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह थानें पर मौजूद थे कि उसी समय साइबर सेल के हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल उपस्थित आये तथा बताये कि साइबर क्राइम मुख्यालय द्वारा PoS एजेन्ट (सिम विक्रेता) की जांच करायी जा रही है जिसकी जांच के क्रम मे विश्वस्त सुत्रो व मुखबिर से ज्ञात हुआ कि जियों स्टोर कस्बा मेहनगर मे फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट करके बेचे जा रहे है। जिसकी जांच हेतु उ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, हे0का0 सुखनन्दन सिंह यादव, का0 रामाश्रय यादव, का0 सभाजीत मौर्य, का0 संजय कुमार के साथ सरकारी वाहन सं0- यूपी 32 बीजी 4104 सिम विक्रेता की जांच हेतु थाना स्थानीय से रवाना होकर जियो स्टोर कस्बा मेहनगर पहुंचे जहां पर उक्त प्रतिष्ठान बन्द था जिसके उपरान्त आस-पास के लोगो से पूछतॉछ के क्रम मे ज्ञात हुआ कि यह स्टोर डिस्ट्रीब्यूटर साहिल कुमार पुत्र रमेश प्रसाद निवासी धरनीपुर रानीपुर थाना मेहनगर, आजमगढ़ के देखरेख मे चलता है। इस बीच संदीप कुमार नाम के व्यक्ति आये जो बताये कि मै साहिल कुमार का भाई हुँ जिनके द्वारा प्रतिष्ठान खोला गया तथा उनके द्वारा बताया गया कि मेरा भाई प्रतिष्ठान पर नही है। अभी कही गया है। तत्पश्चात पुलिस बल मेहनगर कस्बे मे जांच पुछताछ कर रहे थे कि मुखबीर खास द्वारा आकर बताया गया कि साहिल कुमार मेहनगर कस्बे के बाहर सिंचाई विभाग के कार्यालय के सामने बाउन्ड्री के पास सिम लेकर खड़ा है जो किसी ग्राहक को बेचने के इन्तेजार मे है।इस सूचना पर उ0नि0 योगेन्द्र यादव मय हमराह पहुचे और आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 01 अदद सिम जियो एक्टिवेटेड व 5 अदद सिम जियो अनपैक्ड अनएक्टिवेटेड वरामद किया गया।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ मे साहिल कुमार द्वारा बताया गया कि कई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की आईडी पर फर्जी सिम की मांग करते है तथा उसके लिए मुझे दो से तीन हजार रूपये मिल जाते है। मै ग्राहको को नेटवर्क ना आने का बहाना बताकर दो या तीन बार अगुठा लगवाकर अतिरिक्त सिम एक्टिवेट कर रख लेता हुँ। बाद मे सही पैसा मिलने पर बेच देता हुँ। पूछने पर कि कितना सिम बेचे हो तो बता रहा है कि नाम याद नही है लेकिन कई सिम बेचा हुँ जिसमे से खेवसीपुर गांव के आशुतोष यादव की आईडी पर भी एक सिम बेचा हुँ जो याद आ रहा है। यह जो सिम एक्टिवेट किया हुँ इसे भी बेचने के लिए ले जा रहा था। यह सिम एक ग्रामीण विजय बहादुर के नाम से एक्टिवेट किया हुँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

साहिल कुमार पुत्र रमेश प्रसाद निवासी धरनीपुर रानीपुर थाना मेहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

01. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार यादव, हे0का0 सुखनन्दन सिंह यादव का0 सभाजीत मौर्य का0 रामश्रय यादव साइबर थाना आजमगढ़
02. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल साइबर सेल आजमगढ़।

जनपद वासियों को नोडल अधिकारी साइबर क्राइम का जागरूकता संदेश:—

◆ 1. अपने आधार कार्ड की सुरक्षा करें

किसी भी अनजान व्यक्ति या दुकान को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य पहचान पत्र की छाया प्रति देते समय दिनांक एवं देनें का कारण अवश्यक लिखें। कोई सिम कार्ड इसू करते समय एक बार से अधिक फिन्गर लगवाये तो सतर्क हो जायें।

◆ 2. कभी भी OTP साझा न करें

सिम कार्ड एक्टिवेशन या वेरिफिकेशन के नाम पर कोई भी व्यक्ति OTP मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं। यह साइबर ठगी का हिस्सा हो सकता है।

◆ 3. अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर हैं, जांचें

अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल नंबरों की जांच Sanchar Saathi पोर्टल पर करें।

अगर कोई नंबर आपके नाम पर बिना आपकी जानकारी के जारी है, तो उसे तुरंत अपने नजदीकी थानें या साइबर थानें में रिपोर्ट करें।

साइबर अपराध की रिपोर्ट करें — Helpline 1930 या www.cybercrime.gov.in